प्रेस नोट–172/2026
दिनांक 26.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हाथरस/थाना सिकंद्राराऊ</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन बरामद**

दिनांक 25.03.2026 को थाना सिकंद्राराऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम वरूतरखास के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–यश 2–विशाल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 50 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.03.2026 को थाना सिकंद्राराऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकंद्राराऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कासगंज, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंद्राराऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यश निवासी कोतवालपुर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—विशाल निवासी बेरी थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

3—विक्की निवासी ग्राम राजा का बाग थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 40 पेटी अवैध देशी शराब**
- **चोरी के माल बिक्री के 95 हजार 300 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25/26.03.2026 की रात्रि थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहरौरा फ्लाई ओवर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—करन 2—गंगाराम घायल हो गये, जिनके निशादेही पर ग्राम रामपुर ढबही के पास से अभियुक्त 3—आर्यन 4—रामभरोस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 40 पेटी अवैध देशी शराब, चोरी के माल बिक्री के 95 हजार 300 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय

जीवित/खोखा कारतूस, दो चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी सिरसी नियमताबाद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2–गंगाराम निवासी कन्हैया का पुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

3–आर्यन निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

4–रामभरोस निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–चोरी की 40 पेटी अवैध देशी शराब।

2–चोरी के माल बिक्री के 95 हजार 300 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–दो चार पहिया वाहन आदि।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जयप्रकाश को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376/313/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्नू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————